सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक 2973/ दिनांक 17.10.2017 तथा पत्रांक 3912 दिनांक 26.12.2017 के आलोक में जिला ई–गवर्नेंस सोसाईटी अन्तर्गत e-District Manager, Block Level e-Manager, Computer Operator के रिक्त पदों पर चयन हेतु उप विकास आयुक्त–सह–उपाध्यक्ष DeGS की अध्यक्षता में दिनांक 26.02.2018 को बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति:– पंजी के अनुसार।

जिला ई – गवर्नेंस सोसाईटी की चयन समिति की बैठक आज दिनांक 26.02.2018 को उप विकास आयुक्त–सह–उपाध्यक्ष, DeGS की अध्यक्षता में की गई। इस चयन समिति के लिए उपायुक्त–सह– अध्यक्ष, DeGS के द्वारा उप विकास आयुक्त–सह–उपाध्यक्ष, DeGS को इस चयन समिति के लिए अध्यक्ष प्राधिकृत किया गया है। दिनांक 17.02.2018 को प्रकाशित e-District Manager, Block Level e-Manager, Computer Operator के रिक्त पदों के चयन हेतु विभिन्न अखबारों के माध्यम से सूचना प्रकाशित की गई थी। उक्त सूचना के आलोक में Skill Test, Walk - IN Interview लिया जाने का निर्णय चयन समिति द्वारा लिया गया था। परन्तु जिला में वरीय पदाधिकरियों के उपस्थित नहीं रहने के कारण इसे रद्द करते हुए पुनः दिनांक 27.02.2018 को Written Examination तथा दिनांक 28.02.2018 को Interview लेने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। उक्त परीक्षा हेतु 40 अंक का MCQ प्रश्न एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर पद के लिए हिन्दी 20 अंक तथा अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट 20 अंक निर्धारित की गई। Interview के लिए कुल 10 अंक निर्धारित है। पूर्व में Block Level e-Manager तथा e-District Manager के लिए Skill Test के लिए 40 अंक तथा Interview में 10 अंक निर्धारित किया गया था। परन्तु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि e-District Manager, Block Level e-Manager पद के लिए कुल प्राप्तांक 100 के आधार पर ही निर्धारित किया जायेगा। अतः Skill Test के 60 प्रतिशत तथा Interview के 40 प्रतिशत अंक निर्धारित किया गया। तथा Computer Operator पद हेतु Typing Test के लिए 40 अंक तथा Interview में 10 अंक निर्धारित किया गया।

चयन समिति के द्वारा यह सुझाव दिया गया जिला स्तर पर विभिन्न विभागों को कम्प्यूटर ऑपरेटर के चयन प्रक्रिया हेतु अलग–अलग प्रक्रिया करनी पड़ती है। अतएव जिला स्तर पर DeGS, Ranchi के अन्तर्गत कम्प्यूटर ऑपरेटरों के लिए जिला स्तर पर पैनल का निर्माण किया जाए जिससे बार–बार चयन प्रक्रिया से संबंधित कार्रवाई करने की आवश्यकता ना हो। उक्त प्रस्ताव के आलोक में उप विकास आयुक्त–सह– अध्यक्ष के द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि यह पैनल जिला स्तर के सभी कार्यालयों के लिए चयन समिति लागू होगा एवं पैनल की वैद्यता एक

साल के लिए होगी। आवश्यकतानुसार DeGS, Ranchi पैनल के नवीकरण तथा निरस्त करने के लिए अधिकृत होगी। उक्त पैनल में मेरिट लिस्ट के आधार पर विभागों के द्वारा आवश्यकतानुसार Counselling के उपरांत सुयोग्य अभ्यर्थी को अपने स्तर से नियुक्ति पत्र देते हुए इसकी सूचना DeGS, Ranchi को देना सुनिश्चित करेंगे। जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी–सह–सदस्य सचिव DeGS, Ranchi को यह निदेश दिया गया कि चयन समिति के कार्यवाही को जिला के वेबसाईट में अपलोड कर लिया जाए साथ ही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराते हुए उन्हें ससमय योगदान कराना सुनिश्चित करेंगे। अंत में बैठक की प्रक्रिया समाप्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया गया।

26/02/18	26/02	26/2/18	26/02/18
जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी–सह–सदस्य सचिव, DeGS, राँची।	जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची	अपर समाहर्त्ता –सह–नोडल पदाधिकारी, DeGS, राँची।	उप विकास आयुक्त –सह– उपाध्यक्ष DeGS, राँची।

ज्ञापांक 34A/DeGS दिनांक 28/02/2018

प्रतिलिपिः– उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, DeGS, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

26/02/18	26/02	26/2/18	26/02/18
जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी–सह–सदस्य सचिव, DeGS, राँची।	जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची	अपर समाहर्त्ता –सह–नोडल पदाधिकारी, DeGS, राँची।	उप विकास आयुक्त –सह– उपाध्यक्ष DeGS, राँची।